कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 5022/हाथरस/15288/2015, दिनांक, लखनऊ, मई 22, 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : हाथरस में पीलीभीत–भरतपुर मार्ग (एस0एच0–33) किमी0 219 से 220 के मध्य बायीं पटरी पर **ग्राम–हाथरस देहात** के खसरा सं0–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/40/2016/एफसी/902, दि0 15.03.2018,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–40/14–2–2018–800(36)/2016, दिनांक 21.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दि0 07.07.2017 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर वांछित सूचना व अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। उक्त वांछित सूचनायें व अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक–3611/14–1, दिनांक 25.04.2018 द्वारा सी0डी सहित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी सी0डी0 सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सी0डी0 व सूचना भारत सरकार प्रेषित करते हुए प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।
(सी0डी0 सहित)

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।